

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा राजस्थान

प्रकरण संख्या-119/2022

तारीख दायरा 30.9.22

उनवान

धर्मराज पुत्र श्री लटूरलाल उम्र वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तहसील
सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

-वादी-

बनाम

- 1- प्रदीप पुत्र श्री ब्रजराज जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद
- 2- भीमसिंह पुत्र श्री ब्रजराज जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद
- 3- सुनिता बाई पत्नि ब्रजराज जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद
- 4- मुकेश कुमार पुत्रश्री मदनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह. सांगोद
- 5- राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब, सांगोद तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान।

-प्रतिवादीगण-

-:: वाद अंतर्गत धारा 53,88,89,188,209 आर.टी.एक्ट. ::-

उपस्थिति

श्री रमेश कुमार शर्मा (वादी वकील)

श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादी)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जर्गे अधिवक्ता एक
वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के
संयुक्त खाते व कब्जे की पुश्तेनी आराजी ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर
तहसील सांगोद जिला कोटा। नकल जमाबंदी 2076-79 के अनुसार खाता
संख्या नया 88 पुराना 88 खसरा नम्बर 133/68 रकबा 0.01 लगानी 0.16
रूपये, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.49 हैक्टर लगानी 13.26 रूपये, खसरा नंबर
638/769 रकबा 0.67 लगानी 18.09 रूपये, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.74
हैक्टर लगानी 19.68, खसरा नम्बर 709/770 रकबा 0.80 लगानी 21.60 रूपये,

2.....लगातार


उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

खसरा नम्बर 711 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 1.69 हैक्टर लगानी 40.33 रूपये कुल किता 7 कुल रकबा 4.51 हैक्टर कुल लगानी 121.39 रूपये। आराजीयात स्थित है।

उपरोक्त आराजी में वादी का $1/2$ हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का प्रत्येक का $1/6-1/6-1/6$ हिस्सा यानि कुल $3/6$ हिस्सा राजस्व जमाबंदी में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की उपरोक्त संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 712 में से 0.79 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 711 में से 0.01 हैक्टर गैर मु. चाह एवं खसरा नम्बर 709/770 की 0.80 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर आराजी परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अवाप्त हो जाने से अवाप्त आराजी का अवार्ड राशि $1/2$ वादी एवं $1/2$ अवार्ड राशि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्त वर्णित आराजी का विभाजन वादी व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 2 के पिता प्रतिवादीनी कम 3 के पति स्व. ब्रजराज की मौजूदगी में ही वर्षों पूर्व हो गया था। तथा विभाजन अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे, लेकिन अकावद बांध परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना वृत्त झालावाड के खसरा नम्बर 712 में से 0.79 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 711 की 0.01 हैक्टर गै.मुमकिन चाह एवं खसरा नम्बर 709/777 की 0.80 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर आराजी अवाप्त हो जाने। अवाप्त राशि का अवार्ड संयुक्त खाते होने से सभी खातेदारों के नाम आ जाने से वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 द्वारा हिस्से अनुसार अवार्ड प्राप्त किये जाने से उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित आराजी का विभाजन हिस्से कब्जे अनुसार करवाये जाना आवश्यक हो जाने से वाद विभाजन घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना आवश्यक हो जाने से वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा अपने हिस्से में से खाता संख्या नई 88 के खसरा नम्बर 638/769 की रकबा 0.67 हैक्टर में जो वादी के हिस्से $1/2$ को कम 4 को विक्रय करने पर प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा आपत्ति करने पर 1.6.2022 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी खाता नई 88 खसरा नम्बर 638/769 रकबा 0.67 हैक्टर आराजी में निहित वादी का $1/2$ हिस्सा प्रतिवादी कम 4

मुकेश कुमार पुत्र श्री मदनसिंह को विक्रय कर विक्रय विलेख 14.7.2022 को पंजीयन कार्यालय में पंजीयन दस्तावेज 202201303002934 पर पंजीयन हो चुका है, एवं कब्जा प्रतिवादी कम 4 को संभला दिया है।

वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 4 द्वारा आपसी सहमति से वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी का विभाजन निम्न प्रकार किया है।

(अ) वादी के हिस्से में प्राप्त आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 उत्तरी
	40	0.49 में से 1/2 पश्चिमी तरफ 0.25 हैक्टर
	708	0.74 हैक्टर सम्पूर्ण
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.53 हैक्टर उत्तरी तरफ

कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 हैक्टर

(ब) प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के हिस्से में प्राप्त आराजी।

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 दक्षिणी
	40	0.49 हैक्टर में से 1/2 पूर्वी तरफ 0.24 है.
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर दक्षिणी तरफ
	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.34 हैक्टर दक्षिण
	712	1.79 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर

कुल किता 5 कुल रकबा 1.85 हैक्टर

(स) प्रतिवादी कम 4 के हिस्से में प्राप्त आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.33 हैक्टर उत्तरी तरफ

4.....लगातार


उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वाद वास्ते विभाजन कृषि भूमि घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती घोषणा का होने से वाद का मूल्यांकन नियत किया जाकर वाद पत्र निश्चित न्याय शुल्क 2 रूपये पर अवधि मध्य प्रस्तुत किया है।

(अ) वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर फरमाई जावें।

वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में से वादी के हिस्से 1/2 खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 638/791 रकबा 0.67 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा आराजी का विक्रय विलेख दिनांक 14.7.2022 को पंजीयन क्रमांक 202201303002934 पर पंजीयन हो चुका है, जिसकी घोषणा प्रतिवादी कम 4 के पक्ष में की जावें, तथा खाते में नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जावें।

(ब) वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित विभाजन सहमति
(अ) वादी को हिस्से में प्राप्त आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 उत्तरी
	40	0.49 हैक्टर में से 1/2 पश्चिमी तरफ
	708	0.74 हैक्टर सम्पूर्ण
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.53 हैक्टर उत्तरी तरफ

कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 हैक्टर

(ब) प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के हिस्से में प्राप्त आराजी।

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 दक्षिणी
	40	0.49 हैक्टर में से 1/2 पूर्वी तरफ
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर दक्षिणी तरफ
	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.34 हैक्टर दक्षिण तरफ
	712	1.79 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर

कुल किता 5 कुल रकबा 1.85 हैक्टर

(स) प्रतिवादी नम्बर 4 के हिस्से में प्राप्त आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
257	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.33 हैक्टर उत्तरी तरफ

के अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 व प्रतिवादी क्रम 4 के पक्ष में बंटवारे अनुसार घोषणा की जावे, तथा पृथक-पृथक खाते के बंटवारे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किय जाने के आदेश प्रदान करें।

यह कि उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया, प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद अशफाक ने वकालत नामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी क्रम 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादीगण क्रम 5 राज्य सरकार के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, इसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं वादी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार ग्राम नयापुरा पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद की आराजी का विभाजन राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार किया है, तथा विभाजन अनुसार ही आपसी सहमति से शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है, जो राजीनामा निम्न प्रकार है।

(अ) वादी के हिस्से में प्राप्त आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 उत्तरी
	40	0.49 में से 1/2 पश्चिमी तरफ 0.25 हैक्टर
	708	0.74 हैक्टर सम्पूर्ण
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.53 हैक्टर उत्तरी तरफ

कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 हैक्टर

6.....लगाता


उप सपण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(ब) प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के हिस्से में प्राप्त आराजी।

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 दक्षिणी
	40	0.49 हैक्टर में से 1/2 पूर्वी तरफ 0.24 है.
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर दक्षिणी तरफ
	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.34 हैक्टर दक्षिण
	712	1.79 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर

कुल किता 5 कुल रकबा 1.85 हैक्टर

(स) प्रतिवादी कम 4 के हिस्से में प्राप्त आराजी


खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.33 हैक्टर उत्तरी तरफ

उक्त प्रकरण में मैने पत्रावली का व संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई, बहस में वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद को राजीनामा अनुसार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से मैने यह पाया कि पत्रावली में जो दस्तावेज इकबाली जवाब प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 उपलब्ध है, तथा राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 उपलब्ध है, उनसे यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि राजीनामा के अनुसार आपसी सहमति विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 4 के अनुसार विभाजन की घोषणा निम्नानुसार की जाती है।

अ.- वादी के हिस्से में प्राप्त आराजी


उप सचिव मजिस्ट्रेटलगातार
सांगोद (कोटा)

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 उत्तरी
	40	0.49 में से 1/2 पश्चिमी तरफ 0.25 हैक्टर
	708	0.74 हैक्टर सम्पूर्ण
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.53 हैक्टर उत्तरी तरफ

कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 हैक्टर

ब.- प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के हिस्से में प्राप्त आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	133/768	0.01 हैक्टर में से 1/2 दक्षिणी
	40	0.49 हैक्टर में से 1/2 पूर्वी तरफ 0.24 है.
	709/770	0.80 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर दक्षिणी तरफ
	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.34 हैक्टर दक्षिण
	712	1.79 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर

कुल किता 5 कुल रकबा 1.85 हैक्टर

स.- प्रतिवादी क्रम 4 के हिस्से में प्राप्त आराजी।

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)
88	638/769	0.67 हैक्टर में से 0.33 हैक्टर उत्तरी तरफ

एवं विभाजन अनुसार खाता पृथक-पृथक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में विभाजन अनुसार इन्द्राज दुरुस्त किया जावें।

वाद व्यय वादी व प्रतिवादीगण स्वयं वहन करें।


नियमानुसार डिकी पख्या पृथक से जारी हों।

पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम की जावें।


उपखंड अधिकारी सांगोद
(सांगोद (कोटा)
आर.ए.एस.

उपखंड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक...13.6.24...को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखंड अधिकारी सांगोद
(सांगोद (कोटा)
आर.ए.एस.

उपखंड अधिकारी सांगोद